लक्ष्मण सिंह
पूर्व सांसद

हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, अपने विचार रखने और उन्हें अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है. इसी संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों में देशहित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं. यह कार्य चुने हुए संसद सदस्य गहन विचार-विमर्श और व्यापक चर्चा के बाद करते हैं.

संसद में विपक्षी दलों का दायित्व

> देश और लोकतंत्र को एक मजबूत, जिम्मेदार और गंभीर नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है. क्या यह संभव होगा—यह भविष्य बताएगा, परंतु वर्तमान में इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है. आइए, हम सब मिलकर संवाद को जीवित रखें, लोकतंत्र को मजबूत करें और विचार-विमर्श के इस अभियान से जुड़ें. हमारी 'समरसता यात्रा' प्रदेश की हर विधानसभा में जाएगी. शीघ्र ही एक वेबसाइट भी प्रारंभ की जाएगी, जिसे मीडिया बंधुओं के सहयोग से जनता तक पहुँचाया जाएगा.

संसद में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, वह अपने सहयोगी दलों के साथ-साथ विपक्ष की राय लेकर आवश्यक संशोधन करता है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वही विधेयक कानून का रूप लेते हैं, जिन पर देश की शासन-व्यवस्था और करोड़ों नागरिकों का भविष्य निर्भर करता है. इस दृष्टि से संसद सदस्य हमारे स्वतंत्र भारत की आधारशिला हैं.

इसीलिए संसद सदस्य का चुनाव भावनाओं से ऊपर उठकर, जाति और धर्म जैसे संकीर्ण विचारों से मुक्त होकर किया जाना चाहिए. आज भारत ने जो उल्लेखनीय प्रगति की है, वह हमारी मजबूत संसदीय प्रणाली के कारण ही संभव हो पाई है. किंतु पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि चुनाव विकास और राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय जाति और धर्म के आधार पर लड़े जा रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. जब जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था शासकीय नियुक्तियों, पदोन्नति, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में पहले से ही लागू है, तो फिर चुनावों में जाति के नाम पर वोट माँगना कहाँ तक उचित है—यह एक गंभीर प्रश्न है. यदि आरक्षण से मिले लाभों का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों को ही इसका अधिक लाभ मिला है, जबकि लाखों परिवार आज भी लगभग 40 वर्षों बाद भी इस नीति से वंचित हैं. क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है?

दुर्भाग्यवश, राजनीतिक दल मतदाताओं की भावनाओं से खेलकर वोट तो लेते हैं, लेकिन आरक्षण नीति की समीक्षा और वास्तविक सुधार से कतराते हैं. इसी कारण बेरोजगारी, शहरी एवं ग्रामीण विकास, वन संरक्षण, बजट, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय संसद में पर्याप्त चर्चा से वंचित रह जाते हैं. संसद बार-बार अवरोध और गतिरोध के कारण सुचारु रूप से चल ही नहीं पाती.

जबकि सच्चाई यह है कि संसद का प्रत्येक दिन चलना देश की जनता के करोड़ों रुपये का प्रश्न है. संसद के ठप होने का सीधा आर्थिक बोझ जनता पर पड़ता है.

मैं स्वयं 15 वर्षों तक संसद सदस्य रहा हूँ और मेरा अधिकांश कार्यकाल एक विपक्षी सांसद के रूप में रहा. यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे श्री पी.वी. नरसिंह राव जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे महान नेताओं के साथ संसद में बैठने और उनसे सीखने का अवसर मिला. उनसे संवाद और विभिन्न विषयों पर गहन जानकारी प्राप्त करना मेरे लिए एक अमूल्य अनुभव रहा.

आज संसद में जिस प्रकार का व्यवहार और अवरोध देखने को मिल रहा है, वह न केवल मुझे बल्कि पूरे देश को—विशेषकर उन नागरिकों को—अत्यंत पीड़ा और निराशा देता है जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है.

वर्तमान में भाजपा एवं उसके सहयोगी दल सत्ता में हैं, जबकि कांग्रेस विपक्ष में है. विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, वहीं सत्ता पक्ष एवं लोकसभा-राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों का कहना है कि विपक्ष विषय से भटककर जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करता है. हाल ही में हमने देखा कि बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर दिया गया, किंतु वे विषय से हटकर अन्य मुद्दों पर बोलने लगे, जिससे सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हो गई.

हालिया सत्र में तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री की सीट तक पहुँच गए. ऐसा दृश्य मैंने अपने 15 वर्षों के संसदीय जीवन में कभी नहीं देखा, और संभवत: आज़ादी के बाद भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. और भी अधिक दुखद तब हुआ जब नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक माननीय सदस्य को राष्ट्रविरोधी कहा गया, जबकि उस सदस्य के दादा स्वर्गीय श्री बेअंत सिंह जी स्वयं कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे और देश के लिए शहीद हुए. क्या हम शहीदों का इस प्रकार अपमान करेंगे? यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय हित के भी विरुद्ध है. युवा पीढ़ी यह सब देखकर अत्यंत चिंतित है, क्योंकि उनका भविष्य देश के बजट और नीतियों से जुड़ा है. रोजगार की सभी योजनाएँ बजट पर निर्भर करती हैं. फिर भी यह सब समझने और समझाने वाले लोग मौन हैं या अवरोध में सहभागी बने हुए हैं.

ऐसे अनेक जनहित के विषयों को लेकर मैं प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में जनता और अपने साथियों के साथ संवाद के लिए निकला हूँ. अब तक लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण हो चुका है. हर जगह जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता की नाराज़गी स्पष्ट दिखाई देती है—चाहे वह किसी भी दल के हों.

प्रदेश पर भारी कर्ज है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और शिक्षा का स्तर—विशेषकर शासकीय स्कूलों एवं कॉलेजों में—लगातार गिर रहा है. केवल फूल-मालाओं, स्वागत समारोहों और नेताओ के लंबे काफिलों से जनता संतुष्ट नहीं होगी. अब सादगीपूर्ण, अध्ययनशील और गंभीर राजनीति की आवश्यकता है.

जनता सत्ता परिवर्तन पर भी विचार कर रही है, किंतु एक कमजोर विपक्ष, जो तथाकथित 'अदृश्य हाईकमान' पर निर्भर है और सरकार की कमियों को प्रभावी ढंग से उठाने में असफल है, उसका लाभ सत्ता पक्ष को मिल रहा है. यही कारण है कि लगभग दो दशकों से मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में एक ही दल का वर्चस्व बना हुआ है. आप सभी का इस सामाजिक संवाद में हार्दिक स्वागत है. जय हिंद.

नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के प्रयोग को प्राथमिकता

प्रो. कपिल देव मिश्र

भारतीय संस्कृति विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा विविधता को संरक्षण प्रदान करने तथा सामंजस्यपूर्ण जीवन दर्शन को प्रश्रय प्रदान करने का कार्य करती रही है. भाषाई विविधता इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है. भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नही होता, वरन किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान तथा उसकी सांस्कृतिक धरोहर की संवाहिका भी होती है. परतंत्र देशों की कोई अपनी भाषा नहीं होती है, वह अपने शासकों की भाषा बोलने के लिए मजबूर होती है. कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, तकनीक सबका अधिगम भाषा ही है. भाषा ही वह प्रकाश होता है. जिससे सम्पूर्ण विश्व रोशन हो रहा है. शिक्षा से सम्बन्धित जितने भी आयोग का आज तक गठन किया गया है. सभी ने अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने की संस्तुति की, परन्तु कियान्वयन के स्तर पर कभी भी इनका अनुपालन नही हो पाया.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सृजनात्मक क्षमता पर जोर दिया गया है. जो कि भारतीय भाषाओ के माध्यम से सम्भव है. इसमें पहली बार भाषा की ताकत की पहचानते हुए उसको प्रमुखता से उठाया गया है. इस नीतिगत दस्तावेज में पहली बार शिक्षा में भाषा तथा भाषा की शिक्षा पर जोर दिया गया है. इसमें भाषा को शिक्षा में मूल्यबोध, दृष्टिकोण एवं सृजनात्मक कल्पना के निर्माण का साधन माना गया है. इसमें प्रारम्भिक शिक्षा के लिए मातृभाषा के प्रयोग को प्राथमिकता तो दी गई है. साथ ही इस बात को भी उल्लेख किया गया है कि मौलिक विचार अपनी मातृभाषा में ही आते हैं, इसलिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान में मातृभाषा का ही अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए.

विदेशी भाषा में शिक्षा देने से मौलिक विचार समाप्त हो जाते है. मैकाले की शिक्षा नीति में विदेशी विद्वानों को तो पढ़ाया जाता है, परन्तु कपिल, कणाद, तिरुवल्लुवर भास्कराचार्य, चाणक्य, ब्रह्मगुप्त, पाणिनी, कात्यायन, पतंजलि, सुब्रामण्यम भारती तथा अगस्त्य जैसे दार्शनिक, शिक्षाविदों एवं तत्व चिंतकों की उपेक्षा देखने को मिलती है.' इसके लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भाषाविदों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करना. भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवंतता को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है. विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवीन शताब्दी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयार करने वाला महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज है. संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडा 2030 के सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच को अपना लक्ष्य निर्धारित करती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी एवं निजी दोनों ही तरह के विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है. इसके अन्तर्गत ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों तक शिक्षा को पहुँचाने का प्रयास किया गया है. सरकार इस शिक्षा नीति को तकनीकी युग में क्या सोचें से कैसे सोचें में परिवर्तन का प्रतीक मानती है. इसको नए भारत की नींव के रूप में देखा जाता है. इस नीति पर अपना वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह झुंड की मानसिकता से हटकर कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 1369 भाषाएँ है, जिसमें से 121 भाषाएँ ऐसी है, जो कि दस हजार से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है. भारतीय भाषाओ की उपेक्षा के कारण पिछले कई दशकों में 220 से अधिक भाषाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है. इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को प्राथमिक तथा उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है. भाषाएँ जीवान्त एवं प्रासंगिक बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उनका सतत प्रवाह बना रहे.

भारत में भाषा को केवल संपेषण का माध्यम मात्र नही माना जाता है. संप्रेषण के साथ ही यह अस्मिता, पहचान, शासन में भागीदार एवं सत्ता का महत्पपूर्ण आधार भी होता है. भारत की असाधारण भाषाई विविधता को लोकतंत्र की शक्ति के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, न कि विखण्डन के आधार के रूप में. यह भारत के एकत्व को प्रदशित करने का भाव रखती है. इसको नीति निर्माण की चुनौती के रूप में न देखकर उसके सहायक के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है. नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के विकास तथा उसको मुख्य धारा में लाने के लिए तथा उसके साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के लिए इसकों उच्च शिक्षा संस्थानों में ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है. संस्कृत को त्रिभाषा के साथ प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर समृद्ध विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है.

आचार्य मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, कला संकाय पूर्व कुलपति रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल मध्यप्रदेश (प्रभार) राजाशंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाडा मध्यप्रदेश (प्रभार)

बांग्ला अस्मिता के सामने फिर हार गया पाकिस्तान

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

> देश में भारत विरोध तथा पाकिस्तान के समर्थन के कट्टरपंथी ताकतों की तमाम कोशिशों के बीच इन परिणामों को इस रूप में देखा जा सकता है कि बांग्लादेश ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान को पुष्ट किया और यह संदेश दिया कि उसका भविष्य उसकी अपनी ऐतिहासिक चेतना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होगा. तारिक रहमान,जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता हैं,उन्होंने चुनावी रणनीति में कई स्तरों पर मोर्चाबंदी की .करीब सत्रह साल बाद वतन वापसी के साथ ही उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक एकजुटता पर बल दिया,स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय किया,विरोधी मतों का भी आकर्षित करने में सफलता अर्जित की तथा चुनावी मुद्दों को राष्ट्रीय अस्मिता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर सबको चमत्कृत कर दिया .उनकी इस रणनीति ने विपक्षी समीकरणों को प्रभावित किया और चुनावी गणित को बदलकर निर्णायक और ऐतिहासिक सफलता अर्जित कर ली.

बांग्लादेश के आम चुनावों के परिणामों को लेकर एक बार फिर यह साफ हो गया है कि देश की जनता ने अपनी बांग्ला अस्मिता, भाषायी गौरव और मुक्ति संग्राम की विरासत को प्राथमिकता दी है. 1971 मेंबांग्लादेश का जन्म ही सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की रक्षा के लिए हुआ था. ऐसे में बीएनपी को व्यापक समर्थन तथा किसी भी कट्टरपंथी या बाहरी प्रभाव की राजनीति को व्यापक जनसमर्थन न मिलना स्वाभाविक माना जा रहा है. बीएनपी बांग्ला अस्मिता की बात करती है वहीं जमात-ए-इस्लामी,ऐतिहासिक रूप से इस्लामी राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती रही है. 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान इसकी भूमिका को लेकर बांग्लादेश में लंबे समय तक विवाद और न्यायिक कार्रवाइयां होती रही हैं. इसलिए चुनावों में इसकी संभावित जीत को केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं,बल्कि वैचारिक दिशा-परिवर्तन के रूप में भी देखा जा रहा था और यह समूचे दक्षिण एशिया को आशंकित कर रहा था.

बांग्लादेश के जन्म से लेकर वर्तमान तक जमात-ए-इस्लामी की राजनीतिक स्थिति उतार-चढ़ाव से गुजरती रही है. 1971 में पाकिस्तान का पक्ष लेने और युद्ध अपराधों के मामलों में कई शीर्ष नेताओं को सजा मिलने के बाद इसका जनाधार प्रभावित हुआ. फिर भी यह देश के कुछ हिस्सों में कट्टरपंथ विचारधारा पर आधारित संगठित कैडर-आधारित संरचना बनाए रखे हुए है.पाकिस्तान से इसके वैचारिक संबंध ऐतिहासिक रहे हैं,क्योंकि मूल संगठन वहीं सक्रिय था. हालांकि आज की राजनीति में बांग्लादेशी जमात स्वयं को राष्ट्रीय संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है. इसके बावजूद 1971 की स्मृति के कारण पाकिस्तान से जुड़ाव का प्रश्न बांग्लादेश की राजनीति में संवेदनशील और विवादास्पद बना रहता है.जमात-ए-इस्लामी ने इस बार चुनावों में अपनी छवि बदलने की कोशिश की थी और उसे उम्मीद थी कि 1971 के बाद का सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा. जमात को जमीनी स्तर पर समर्थन और बाहर से भी सहयोग की संभावना थी. जमात गठबंधन ने 70 के आसपास सीटें जीतीं,जो उनकी पिछली स्थिति से सुधार है लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए बहुत कम है. बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी की जड़ें अविभाजित भारत में स्थापित इस्लामी राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी हैं,जिसकी स्थापना 1941 में अबुल आला मौदूदी ने की थी. 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान इस संगठन के कुछ नेताओं पर पाकिस्तान की एकता के समर्थन और स्वतंत्रता आंदोलन के विरोध के आरोप लगे. स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश में इसे प्रतिबंधित किया गया,किंतु बाद के दशकों में यह पुन: राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हुई और गठबंधन राजनीति का हिस्सा बनी.

चुनाव में जमात-ए-इस्लामी के प्रति पाकिस्तान प्रायोजित सहानुभूति और समर्थन की धारणा बनाने की खूब कोशिश की गई,भारत विरोध को प्रश्रय दिया गया लेकिन तारिक रहमान की बीएनपी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी जीत हासिल की. यह चुनाव बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन के अंत और जमात के कट्टरपंथ से हटकर बीएनपी के उदार विचारों की ओर झुकाव को दर्शाता है.

महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य

प्रो. विवेकानंद तिवारी
अध्यक्ष, आम्बेडकर पीठ
एचपीयू ,शिमला

परम-आत्मा का ही नाम है शिव, जिसका संस्कृत अर्थ है 'सदा कल्याणकारी', अर्थात वो जो सभी का कल्याण करता है. शिवरात्रि व शिवजयन्ती भारत में द्वापर युग से मनाई जाती है. यह दिन हम ईश्वर के इस धरा पर अवतरण के समय की याद में मनाते हैं. शिव के अलावा ओर किसी को भी हम 'परम-आत्मा' नहीं कहते.

शिवलिंग महाशिवरात्रि के साथ जुड़े हुए आध्यात्मिक महत्व को समझने का ये सबसे अच्छा अवसर है. शिव-लिंग भगवान शिव के ज्योति रूप को नष्ट कर दिया गया है. ईश्वर का कोई मनुष्य रूप नहीं है और न ही उसका कोई शारीरिक आकार है. शिव एक सूक्ष्म, पवित्र व भगवान स्वदीप्तिमान दिव्य ज्योति पुंज हैं. इस ज्योति को एक क्रिस्टोफर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. इन्हें ज्योर्तिलिंग के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात 'ज्योति का प्रतीक'. वो सत्य है, युवा हैं और सबसे सुंदर आत्मा है, उन्हें सत्यम-शिवम्-सुंदरम कहा जाता है. वो सत्-चित-आनन्द स्वरूप भी है.

शिवरात्रि मात्र एक त्यौहार नहीं बल्कि यह ऐसा दिन है जब आपके मन मस्तिष्क में ऊर्जा का नया स्वरुप उत्पन्न होता है.

शिव कोई पुरुष नहीं है अपितु वह उर्जा शक्ति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड वास करता है और हर जीव के भीतर इस ऊर्जा का निवास है. इसी उर्जा को शिव तत्व कहते हैं'.

शिव तत्व सृष्टि का वह रहस्य है जो प्रकृति और जीव के अन्तर को मिटाकर उसकी एकरूपता को स्थापित करता है.

शिव तत्व में शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों का अन्तर्भाव होता है .परमशिव प्रकाश विमर्श मय है .इसी प्रकाश रूप को शिव तत्व और विमर्श रूप को शक्ति तत्व कहते हैं .शिव आरम्भ, अन्त और मध्य इन तीनों का ही प्रारम्भिक केन्द्र विन्दु है.

शिवरात्रि ऐसी बेला है जब भगवान शिव सविग्रह संपूर्णरूपेण जागृत होते हैं. यही एक ऐसी तिथि है जब भगवान शिव समाधि से विरत होकर अपना संपूर्ण ध्यान विश्व कल्याणार्थ चेतन तत्व पर केन्द्रित रखते हैं और ऐसी अवस्था में उनके निकट उपस्थित होकर उनका पूजन-अर्चन करने वाले सुधांशु चन्द्रमा की शीतल किरण छाया में सफलता प्राप्त करते हैं.

परात्परतरं नास्ति शिवरात्रि: परात्परा. न पूजयति भक्तेशं रुद्रं त्रिभुवनेश्वरम. जन्तुर्जन्मसहस्त्रेषु युज्यते नात्र संशय:॥'(स्कन्द पुराण)

यह ऐसा दिन है जब मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा पाने में प्राकृतिक रूप से सहायता और विचार करने वाले विभिन्न स्त्रोतों को एक मापदंड पर लेकर शुन्य कर देने और विशाल ऊर्जा को प्राप्त करने का दिन है.

शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने सृष्टि को रक्षा हेतु हलहाल विष का पान किया था और पूरी सृष्टि की रक्षा इस विष से से की थी.

शिव तत्व यानी वह सिद्धांत या सत्य जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है. यह वही परम सत्य है जिसकी हम खोज कर रहे हैं . ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि साधना, शरीर, मन और अहंकार के लिए गहन विश्राम का समय है. जो भक्त को परम ज्ञान के प्रति जागृत करता है

महाशिवरात्रि और साधना

भारतीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, एक वर्ष में कुछ ख़ास समय और दिन होते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति और ध्यान करने के लिए बहुत अनुकूल माने जाते हैं7 महाशिवरात्रि उन्ही में से एक है7 ध्यान, आपको मन और बुद्धि के परे ले जाता है7 ध्यान के दौरान एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ हम 'अनंत' में प्रवेश कर जाते हैं; यह वो अनंत है जहाँ 'प्रेम' भी है और 'शून्यता' भी7 यह अनुभव हमें चेतना के चौथे स्तर पर ले जाता है, जिसे 'शिव' कहते हैं7

महाशिवरात्रि मानाने के पीछे वैज्ञानिक महत्व यह है कि इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्द्ध इस तरह से अवस्थित होता है की मनुष्य ,जीव जंतु सभी के भीतर की ऊर्जा का विस्तार प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर अग्रसर होता है.

इस दिन रात्रि के समय भगवान शिव की पूजा आराधना करते समय व्यक्ति को ऊर्जा कुंज के साथ सीधे बैठना पड़ता है. जिससे व्यक्ति की रीड की हड्डी सीधी होती है और उसे मजबूती मिलती है इतना ही नहीं मनुष्य को इस दिन एक प्रकृति कि महान शक्ति की अनुभूति होती है.

महाशिवरात्रि के दिन, शिव तत्व का पृथ्वी संपर्क से होता है. हमारी चेतना और हमारा आभामंडल भौतिक स्तर से कुछ ऊपर होता है और महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्माण्डीय चेतना पृथ्वी तत्व को छूती है. मौन में रहने का या अपनी चेतना के साथ रहने का यह सब से उत्तम समय होता है.

'महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने के पीछे सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है- आपके शरीर में मौजूद हर एक कण को जीवन्त करना. उत्सव के माध्यम से आपको यह याद दिलाया जाता है सभी तरह के संघर्ष का त्याग कर, सत्य, सुंदरता, शांति और परोपकार के पथ पर चलें - जो की शिव के ही गुण हैं'.

- यज्ञ, वेद मंत्रों के उच्चारण, साधना और ध्यान के माध्यम से वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होती है. इन पवित्र क्रियाकलापों के माध्यम से आप स्वयं के साथ और पूरी सृष्टि के साथ एकरस हो जाते हैं.

'रात्रि' का अर्थ है- रात या विश्राम करने का समय. महाशिवरात्रि के समय, हम अपनी चेतना में विश्राम करते हैं. यह समय है अपनी अंतरात्मा और चेतना के साथ उत्सव मानाने का, महाशिवरात्रि के दिन साधना के माध्यम से हम दिव्य चेतना की शरण में चले जाते हैं.